तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/5576/2019/जैसलमेर सूरजी बनाम सरकार अपील/टीए/5577/2019/जैसलमेर अर्जनराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्ड पीठ
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थित

श्री वी.पी.सिंह, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री रामसुख चौधरी, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार

निर्णय

दिनांक 02.07.2021

यह दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर द्वारा अपील संख्या 76/2016 एवं अपील संख्या 78/2016 में पारित निर्णय दिनांक 21–08–2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा पेश की गई अपील को स्वीकार कर उपायुक्त उपनिवेशन नाचना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–2–2014 को निरस्त किया है।

इन दोनों प्रकरणों की विषयवस्तु एक ही होने के कारण इनका निस्तारण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है आलोच्य प्रकरण को मण्डल की पूर्व माननीय खण्ड पीठ ने आदेशिका दिनांक 24–9–2019 द्वारा स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–8–2019 की पालना को स्थगित किया गया है। साथ ही इसी प्रकृति के अन्य प्रकरण में मण्डल की पूर्व माननीय खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार उपराजकीय अधिवक्ता की सहमति के आधार पर अभिलेख का अवलोकन किए बिना ही अपील को निस्तारित कर प्रतिप्रेषित करने का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/टीए/5576/2019/जैसलमेर सूरजी बनाम सरकार अपील/टीए/5577/2019/जैसलमेर अर्जनराम बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आदेश दिनांक 30–7–2019 पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में भी उपराजकीय अधिवक्ता द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। चूँकि इसी प्रकृति के अन्य प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः इस प्रकरण में भी पुनः आदेश पारित करने हेतु मामले को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय का अवलोकन करने से भी स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 31 की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है, जबकि विधि के सिद्धान्तों के अनुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को आक्षेपित निर्णय तनकीवार पारित किया जाना चाहिए था। यद्यपि आलोच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों का रेकार्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में आलोच्य प्रकरण को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करने हेतु मामले को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। परिणामतः प्रस्तुत दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–08–2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विचाराधीन प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(पंकज नरूका)** **(विनीता श्रीवास्तव)** **सदस्य** **सदस्य**	